प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1247/2025

मोहम्मद मतीन अहमद पिता मोह. इब्राहिम कुरैशी , 37 वर्ष, निवासी ग्राम नूरानी चौक सदर उत्तर शब्द संख्या 14, तहसील तथा जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, महासमुंद, (पुलिस स्टेशन, पाटेवा), जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री विरेन्द्र कश्यप, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--श्री प्रांजल शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

11.07.2025

1. वर्तमान याचिका, महासमुंद (छत्तीसगढ़) के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या एच-09/2025 में पारित दिनांक 28.02.2025 के आदेश के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत दायर की गई है। इस आदेश में महासमुंद के जेएमएफसी द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 21/2025 में पारित दिनांक 28.01.2025 के आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसके तहत जब्त वाहन अर्थात पिकअप पंजीयन संख्या सीजी 23 एफ 4550 की अंतरिम अभिरक्षा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, जिसे उसने अभियुक्त गुलाम हुसैन को दिनांक 05.11.2024 से 05.10.2025 तक 11 माह के लिए किराए पर दिया था, जिसके लिए उनके बीच एक करार भी हुआ था।दिनांक 10.11.2024 को उक्त वाहन को महासमुंद (छ.ग.) से उड़ीसा 6 गायों को क्रूरतापूर्वक परिवहन करते हुए पाया गया था।अत: पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया और छत्तीसगढ़ कृषि पशु

परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध क्रमांक 182/2024 के तहत पुलिस थाना पटेवा, जिला महासमुंद में मामला दर्ज किया गया।

3. वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा महासमुंद के संयुक्त वित्तीय आयुक्त के समक्ष जब्त वाहन को सुपुर्दनामा पर छोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 28.01.2025 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वाहन 11.11.2024 को जब्त किया गया था और छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (संक्षेप में, "2004 का अधिनियम") की धारा 6 (3) के अनुसार, जब्ती दिनांक से छह महीने से पहले सुपुर्दनामा पर जब्त वाहन को छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, महासमुंद के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 28.02.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई।अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) तब लागू होगी जब मवेशियों को 2004 के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या इस ज्ञान के साथ कि उनका वध होने की संभावना है, वध के उद्देश्य से ले जाया जाता है।यदि वध का कोई आरोप नहीं है और मवेशियों को वैध उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा है, तो 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) लागू नहीं होगी और मामले के गुण–दोष के आधार पर अंतरिम अभिरक्षा तुरंत दी जा सकती है।इस मामले में, पूरे अभियोजन मामले में भी वध के उद्देश्य से कृषि मवेशियों के परिवहन का कोई आरोप नहीं है, उड़ीसा राज्य में वह स्थान जहाँ मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था, परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए, 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।वैसे भी, वर्तमान मामले में शामिल वाहन 11.11.2024 को जब्त किया गया था और अब छह महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए, यह न्यायालय सुपुर्दनामा पर वाहन को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति का पुरजोर विरोध किया तथा आक्षेपित आदेश का समर्थन करता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और उनके उपरोक्त प्रतिद्वन्द्वियों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया गया।

7. 2004 का अधिनियम आम जनता के हित में तथा सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए कृषि पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियमित किया गया है।2004 के अधिनियम की धारा 6 में वध के लिए कृषि पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध का प्रावधान है।इस स्तर पर, 2004 के अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:–––

"6. वध हेतु कृषि पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध::–––––––

(1) कोई भी व्यक्ति किसी कृषि मवेशी को राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या होने की संभावना है, वध के प्रयोजन के लिए नहीं बेचेगा, या परिवहन नहीं करेगा, या परिवहन की पेशकश नहीं करेगा या परिवहन नहीं कराएगा।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी कृषि मवेशी का उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन करता है या परिवहन कराता है, तो ऐसे वाहन या ऐसे पशु के परिवहन में प्रयुक्त कोई वाहन, ऐसे कृषि मवेशी सहित, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, जब्त किया जा सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन जब्त किए गए वाहन या सवारी को, ऐसी जब्ती की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले या न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, जो भी पहले हो, न्यायालय के आदेश द्वारा बांड या ज़मानत पर जारी नहीं किया जाएगा और ऐसा वाहन परीक्षण के अंत में जब्त करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

8. 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह प्रावधान वध के उद्देश्य से या इस ज्ञान के साथ कि मवेशियों का वध किया जा सकता है, मवेशियों के परिवहन, कब्जे तथा विक्रय पर रोक लगाता है।अधिनियम के तहत वध के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर रोक नहीं है और उस स्थिति में 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रावधान लागू नहीं होंगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सुस्थापित विधि है कि दंडात्मक क़ानूनों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। जब विधायिका द्वारा कोई विशिष्ट शब्द जोड़ा गया हो, तो उस प्रावधान को कोई अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है।डब्ल्यू. एच. किंग बनाम भारत गणराज्य और अन्य 1 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:---

"10. चूंकि यह कानून एक अपराध बनाता है और जुर्माना और कारावास का दंड देता है, इसलिए धारा के शब्दों को विषय के पक्ष में सख्ती से समझा जाना चाहिए।हम इस बात से उतना चिंतित नहीं हैं कि संभवतः क्या कहा गया होगा, बल्कि इस बात से चिंतित हैं कि 1 एआईआर 1952 एससी 156 में प्रयुक्त भाषा में वास्तव में क्या कहा गया है।"

10. इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्यबनाम स्वप्न कुमार गुहा एवं अन्य 2 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:: ---

"15.जब यह कहा जाता है कि दंडात्मक विधिक की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि आक्षेपित चीज़ प्रयुक्त शब्दों के स्पष्ट अर्थ में एक अपराध है और

उसे शब्दों को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए:"दूसरे शब्दों में कहें तो, सख्त व्याख्या के नियम के अनुसार किसी क़ानून की भाषा की इस तरह व्याख्या की जानी चाहिए कि कोई भी मामला उसके अंतर्गत न आए जो क़ानून की उचित व्याख्या के दायरे में न आता हो", और संदेह की स्थिति में, विषय के अनुकूल व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।लेकिन मुझे नहीं लगता कि दंडात्मक क़ानूनों की सख्त व्याख्या का यह नियम किसी भी तरह से व्याख्या के मूल सिद्धांत को प्रभावित करता है, कि प्राथमिक परीक्षण जो सुरक्षित रूप से लागू किया जा सकता है वह अधिनियम में प्रयुक्त भाषा है और इसलिए, जब शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हों, तो न्यायालय को विधायिका के व्यक्त इरादे को स्वीकार करना चाहिए।."

11. बॉम्बे पशु संरक्षण अधिनियम, 1954 की धारा 6(ए) के खंड (4) में निहित समरूप सामग्री प्रावधान रविदासभाई सेगजीभाई वसावा बनाम गुजरात राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 14545 में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, **जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय 2 (1982) 1 एससीसी 561 ने वर्तमान मामले में** शामिल समान विवाद्यक पर विचार करते हुए कहा कि धारा 6(ए) का खंड (4) केवल उस मामले में लागू होगा जहां जानवरों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा हो। रिपोर्ट के कंडिका 10, 11, 12 और 13 में निम्नानुसार देखा गया है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. धारा 6(ए) खंड (1) को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि यह उस मामले में लागू होता है जहां यह पाया जाता है कि पशुओं को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या इस ज्ञान के साथ कि उनका वध होने की संभावना है, वध के उद्देश्य से राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था।धारा 6(ए) खंड (1) में एक प्रावधान है जो यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को वध के उद्देश्य से ऐसे पशु का परिवहन करते हुए तब तक माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी की संतुष्टि के लिए इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है या उसने वास्तविक कृषि या पशुपालन उद्देश्य के लिए पशु के परिवहन के लिए उप-धारा (2) के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की है।"

11. धारा 6(ए) का खंड (4) वाहन को छह महीने की अवधि के लिए छोड़ने पर प्रतिबंध लगाता है।

12. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 6(ए) का खंड (4) केवल उस मामले में लागू होगा जहां पशुओं को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा हो।

13. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा परिवहन के उद्देश्य से वाहन के पंजीकृत स्वामी के रूप में कोई परमिट प्राप्त नहीं किया गया था।हालाँकि, साथ ही, अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होगा कि मवेशियों का परिवहन वध के उद्देश्य से किया गया था। इस उद्देश्य से, मैंने विद्वान एपीपी श्री दभी से पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में पूछताछ की।श्री दभी ने निष्पक्ष रूप से तर्क दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था।ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में कोई अन्वेषण नहीं हुई है। यदि अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, तो कम से कम अन्वेषण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात की अन्वेषण करे कि उन्हें किस स्थान पर ले जाया

जा रहा था और वध के उद्देश्य से किसे सौंपा जाना था।इस संबंध में कुछ भी नहीं है।ऐसी सामग्री के अभाव में, मेरे विचार में, अभियोजन पक्ष सीधे तौर पर धारा 6(ए–(1) के तहत दी गई काल्पनिक कल्पना का सहारा नहीं ले सकता है।ऐसी परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि वैधानिक समय अवधि अर्थात छह महीने की समाप्ति से पहले वाहन को छोड़ने में कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए।"

12. उपर्युक्त विधिक स्थिति और रविदासभाई सेगजीभाई वसावा (सुप्रा) में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से निकलने वाले कानून के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्थापित विधिक स्थिति है कि यदि कृषि मवेशियों को 2004 के अधिनियम के उल्लंघन में वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, तो धारा 6 (3) के तहत रोक लागू होगी और वाहन को छह महीने की अवधि के लिए या निर्णय सुनाए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम अभिरक्षा में नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन वध के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कृषि मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उक्त अधिनियम के तहत अपराध नहीं है और यदि 2004 के अधिनियम की धारा 6 (1) लागू नहीं होती है, तो अधिनियम की धारा 6 (3) में निहित रोक लागू नहीं होगी और प्रावधान के अनुसार छह महीने की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना अंतरिम अभिरक्षा प्रदान की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिका के साथ संलग्न आदेश और अन्य दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसी ने कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया है कि याचिकाकर्ता के वाहन का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) के उल्लंघन में वध के उद्देश्य से मवेशियों के परिवहन के लिए किया जा रहा था।अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता के वाहन का उपयोग मवेशियों को महासमुंद (छत्तीसगढ़) से उड़ीसा अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जा रहा था और यह 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) का उल्लंघन नहीं था। अभियोजन पक्ष के पूरे मामले में, उड़ीसा में किसी विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है जहाँ मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था।

14. पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिनांक 10–11–2024 में, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, महासमुंद ने प्रमाणित किया है कि सभी छह मवेशी स्वस्थ स्थिति में हैं।अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि कृषि मवेशी "वध" की परिभाषा को आकर्षित करने के लिए खराब/ घायल स्थिति में थे ताकि 2004 के अधिनियम की धारा 6 (3) में निहित प्रतिबंध लागू हो सके।

15. मामले के इस दृष्टिकोण से, विचारण न्यायालय द्वारा पारित और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को अपास्त किया जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रतिबंध बिल्कुल भी लागू नहीं होता।वैसे भी, अब छह महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी है। अतः, **सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002) 10 एससीसी 283** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता विचारण की समाप्ति तक वाहन की अभिरक्षा का हकदार होगा।तदनुसार, विचारण न्यायालय को उचित शर्तें लगाकर वाहन की अंतरिम

अभिरक्षा याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया जाता है।विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने की तिथि से सात दिनों के भीतर वाहन को मुक्त कर दिया जाएगा।

16. याचिका को ऊपर बताए गए विस्तार तक अनुमति दी गई है।

सही/–
(संजय कुमार जयस्वाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur